लोक–सुनवाई का वृत

मेसर्स होटल डायमंड प्लाजा, प्रो0–श्री संजय कुमार सिंह, पिता–स्व0 नागेश्वर सिंह, पता–राजगीर पेट्रोलपंप, राजगीर, नालंदा द्वारा बरनार नदी ब्लॉक–10 बालू घाट, मौजा–कागेसर, प्रखंड–खैरा, जिला–जमुई में बालू खनन योजना का पर्यावरणीय स्वीकृति के उद्देश्य से लोक–सुनवाई पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के अधिसूचना सं0– एस. ओ. 1553, दिनांक 14 सितम्बर 2006 के आलोक में **दिनांक 27.02.2024 को अपराह्न 02:00 बजे प्रखंड सभागार खैरा, जिला–जमुई** के प्रांगण में लोक सुनवाई की गयी।

यह लोक सुनवाई पर्यावरण प्रभाव मुल्यांकन अधिसूचना सं0– एस. ओ. 1553, दिनांक 14 सितम्बर 2006 के तहत् राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, बिहार द्वारा निर्गत् टी0ओ0आर0 (पर्यावरण विचारों) पत्र संख्या– SIA/1(a)/ 2398/2023, दिनांक 20.05.2023 के आलोक में रामदुलार राम, अपर समाहर्ता–सह–जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, जमुई की अध्यक्षता में की गयी। **उपस्थिति पंजी संलग्न (अनुलग्नक–1)**

प्रसंगाधीन लोक–सुनवाई की सूचना पर्षद् द्वारा दैनिक समाचार पत्रों यथा– "दैनिक जागरण" एवं "दैनिक भास्कर", भागलपुर संस्करण के माध्यम से दिनांक **20.01.2024** को प्रकाशित की गयी है। लोक सुनवाई के दौरान श्री एस0 एन0 झा, क्षेत्रीय पदाधिकारी, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्, भागलपुर के द्वारा लोक सुनवाई में उपस्थित सभी जन समुदाय, खनन पट्टाधारक एवं पदाधिकारीगण का स्वागत करते हुए पर्यावरण प्रभाव मुल्यांकन अधिसूचना, 2006 के तहत् इकाई के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया।

अपर समाहर्त्ता के द्वारा उपस्थित लोगों को लोक–सुनवाई के उद्देश्य से अवगत कराया गया तथा लोगों से इस योजना से संबंधित पर्यावरण के मुद्दों पर सुझाव/आपत्ति दर्ज कराने हेतु अनुरोध किया गया।

तदोपरांत परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार श्री नीतीश कुमार ने प्रस्तावित बालू खनन योजना का परिचय, उत्पादन प्रक्रिया, प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था एवं सोशल पर्यावरण रेस्पॉन्सिबिलिटी आदि के संबंध में अवगत कराया। इनके द्वारा सूचित किया गया कि–

1. यह बालू खनन पट्टा बरनार नदी ब्लॉक– 10 बालू घाट, मौजा–कागेसर, प्रखंड–खैरा, जिला–जमुई में प्रस्तावित है। बिहार सरकार के खान एवं भूतत्व विभाग के द्वारा श्री संजय कुमार सिंह को इस खनन पट्टा के लिए वैधन्तिक स्वीकृत आदेश (L.O.I.) निर्गत किया गया है। इस खनन पट्टा ब्लॉक संख्या– 10 में प्रतिवर्ष 244530 टन बालू का खनन प्रस्तावित है। इस योजना का कुल अनुमानित लागत ₹1662.40 लाख (निलामी लागत सहित) अनुमानित है। जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में बालूघाट के ब्लॉक संख्या– 10 को सम्मिलित किया गया है।
2. बालू खनन, खनन पट्टा के सीमा के अंदर "वैज्ञानिक विधि" तथा अनुमोदित "खनन योजना" के अनुसार किया जाएगा तथा इस योजना के कार्य के क्रियान्वयन से पर्यावरण पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों के नियंत्रण के लिए विशेष उपाय पर्यावरण प्रभाव मुल्यांकन प्रतिवेदन में दर्शाएं गए है।

3. खनन में ड्रिलिंग, ब्लास्टिंग का प्रयोग नहीं किया जायेगा। खनन कार्य अर्द्ध–मशीनीकरण व्यवस्था के साथ किया जायेगा जिसमें यांत्रिक उपकरणों के साथ मानव संसाधन का भी उपयोग किया जायेगा। बरसात एवं बाढ़ की अवधि में खनन नहीं किया जायेगा। जल प्रवाह वाले क्षेत्र में खनन कार्य नहीं किया जायेगा। केवल सूखे स्थल पर ही खनन की कारवाई की जायेगी।
4. प्रस्तावित बालू खनन क्षेत्र के चारों ओर सुरक्षा क्षेत्र छोड़ा जाएगा जिससे नदी तट को कोई नुकसान नहीं हो। खनन का कार्य केवल 1 मीटर तक की गहराई अथवा भूगर्भीय जल सतह के ऊपर तक ही सीमित रहेगा।
5. खनन क्षेत्र में वाहनों के आवागमन हेतु अस्थायी व वैकल्पिक मार्ग का निर्माण ग्रामवासियों से परामर्श लेकर तथा सहमति बनाकर किया जाएगा। बालू को तिरपाल से ढक कर ले जाया जायेगा तथा किसी भी परिस्थिति में ओवर–लोडिंग नहीं किया जायेगा। इस मार्ग के रख–रखाव का दायित्व परियोजना प्रस्तावक का होगा।
6. खनन परियोजना के क्रियान्वयन से पूर्व सभी संवेदनशील स्थानों पर जैसे– मार्गों, खनन क्षेत्र इत्यादि पर चेतावनी/सावधानी सूचना पट्ट लगाए जाएंगे तथा आकस्मिक आपदा की स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक सेवाओं के सूचना/मोबाईल नम्बर उल्लिखित किए जाएंगे।
7. प्रस्तावित परियोजना में वृक्षारोपण का प्रावधान किया गया है जो ग्रामीणों के परामर्श पर उपलब्ध भूमि, मार्गों के दोनों ओर एवं ग्राम के मध्य लगाएं जाएंगे। इन पौधों की देखभाल अगले पाँच वर्षों तक परियोजना प्रस्तावक के द्वारा की जाएगी।
8. खनन क्षेत्र व निकटवर्ती गाँव के मध्य सघन वृक्षारोपण से ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकेगा। ध्वनि प्रदूषण को मानकों के अनुरूप बनाए रखने के लिए रात्रि में वाहनों द्वारा ध्वनि यंत्रों (Horn) का न्यूनतम प्रयोग किया जाएगा। उच्च दवाब वाले ध्वनि यंत्रों (High Pressure Horn) का उपयोग करने वाले वाहनों का खनन क्षेत्र में प्रवेश वर्जित रहेगा। इसके साथ ही रात्रि के समय खनन प्रक्रिया पूरी तरह बन्द रहेगी तथा एकत्र खनिज को ही निर्गत किया जाएगा।
9. खनन कार्य व खनिज के परिवहन से उत्पन्न धूल कणों के नियंत्रण हेतु प्रतिदिन तीन बार जल का छिड़काव किया जाएगा। खदान से निर्गत बालू को तिरपाल से ढक कर निर्गत किया जाएगा। सरकार द्वारा अनुमोदित खनिज को खदान से 300 मीटर की दूरी पर एकत्र कर वहां से निर्गत करने से खनिज से रिसने वाला जल मार्गों को जलमग्न नहीं होने देना खनिज में उपलब्ध नमी से धूलकणों के उत्सर्जन का नियंत्रण हो सकेगा।
10. खनन क्षेत्र में प्रदूषण मानकों का पालन करने वाले वाहनों (PUC धारक) का उपयोग किया जाएगा तथा इसका रिकार्ड रखा जाएगा। खनन क्षेत्र में आवागमन करने वाले वाहनों की गति सीमा निर्धारित होगी तथा तेज गति से चलने वाले वाहनों का खनन क्षेत्र में प्रवेश वर्जित रहेगा।
11. प्रस्तावित परियोजना के अन्तर्गत पर्यावरण सुरक्षा की दृष्टि से एक प्रबन्धन प्रकोष्ठ बनाया जाएगा जो सभी प्रकार की व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित करेगा व समय–समय पर ग्रामवासियों से इसकी जानकारी एवं सुझाव प्राप्त करेगा।

परियोजना प्रस्तुतिकरण के पश्चात् उपस्थित लोगों के द्वारा सुझाव/मंतव्य दिए गए जो निम्नवत् हैं–

क्रमांक	प्रतिक्रया/सुझाव	प्रस्तावक के जवाब
1.	अब्दूल गफ्फार, ग्राम–टिहिया, कागेसर, जमुई के द्वारा वाहनों के आवागमन से सड़क के क्षतिग्रस्त होने, नियमित जल–छिड़काव, एक लेवल में खुदाई करने एवं डिसप्ले बोर्ड पर संवेदक का मोबाइल नं0 अंकित करने का प्रश्न उठाया गया।	प्रस्तावित परियोजना में अधिकतम 1 मीटर की गहराई तक खनन किये जाने का प्रावधान है। खनन माइनिंग प्लान के अनुसार किया जायेगा संवेदक को निर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति में डिसप्ले बोर्ड लगाने का प्रावधान है जिसमें संवेदक का नाम, पता एवं मोबाइल नं0 अंकित किया जायेगा। संवेदक के द्वारा सड़कों के रखरखाव तथा जल छिड़काव की व्यवस्था किये जाने का आश्वासन दिया गया।
2.	श्री नरेन्द्र कुमार, केंदुआ, कागेसर, जमुई के द्वारा खनन से सिंचाई की समस्या, पेयजल की समस्या तथा वृक्षारोपण नहीं होने का प्रश्न उठाया गया।	जिला स्तरीय सर्वेक्षण टीम के द्वारा सर्वेक्षण के उपरांत खनन क्षेत्र बनाया गया है। वर्तमान में जिला में पुनर्भरण अध्ययन न होने के कारण अधिकतम 1 मीटर की गहराई तक ही खनन करने का प्रावधान है। इससे ज्यादा गहराई तक खनन अथवा अवैध खनन होने पर इसकी सूचना जिला खनन कार्यालय एवं जिला प्रशासन को दी जा सकती है। भूजल स्तर की समस्या व्यापक है तथा इसका खनन गतिविधि से सीधा संबंध होने की संभावना नहीं है।
3.	श्री गोपाल कुमार, ग्राम–कागेसर, जमुई के द्वारा बताया गया कि उनका नदी के किनारे जमीन है तथा खनन होने के बाद जमीन उपर आ जाने से सिंचाई में समस्या होगी।	जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट एवं अनुमोदित खनन परियोजना के अनुसार ही खनन कार्य किया जायेगा। खनन नदी के सुखे क्षेत्र में ही किया जायेगा तथा नदी के जल प्रवाह को बाधित नहीं किया जायेगा।
4.	श्री छोटू कुमार, कागेसर, जमुई के द्वारा बालू उठाने से जल स्तर कम होने का प्रश्न उठाया गया।	भूजल स्तर की समस्या राज्य स्तरीय है तथा इसका खनन गतिविधि से सीधा संबंध होने की संभावना नहीं है। प्रस्तावित परियोजना में अधिकतम 1 मीटर की गहराई तक खनन किये जाने का प्रावधान है।
5.	श्री राजेश सिंह, चौहानडीह, कागेसर, जमुई के द्वारा पुछा गया कि बालू खनन होने पर आस पास के लोगों को इसका क्या फायदा मिलेगा तथा नियमानुसार वृक्षारोपण कराये जाने का मांग किया गया। उनके द्वारा खनन क्षेत्र से 1 किलोमीटर की दूरी पर जंगल होने की सूचना दी गयी।	खनन परियोजना प्रारंभ होने से सरकार को राजस्व की प्राप्ति होगी जिससे विकास के कार्य किये जायेंगे। रोजगार के प्रत्यक्ष एवं परोक्ष अवसर सृजित होगें जिससे स्थानीय लोगों को लाभ होगा। सी0ई0आर0 के तहत परियोजना लागत का 2% राशि स्थानीय लोगों से विमर्श कर आस पास के क्षेत्रों के विकास कार्य में खर्च किया जायेगा। वन क्षेत्र की स्थिति के बारे में सक्षम प्राधिकार के समक्ष विषय रखा जायेगा।

सुनवाई में उपस्थित संवेदक संजय कुमार सिंह के द्वारा नियमानुसार खनन कार्य कराये जाने, सड़कों का रख रखाव, जल छिड़काव की व्यवस्था तथा वृक्षारोपण इत्यादि कराये जाने का आश्वासन दिया गया।

लोक–सुनवाई के समापन में अपर समाहर्ता–सह–सभा के अध्यक्ष के द्वारा बताया गया कि बालू का संवेदनशील तरीके से उपयोग किया जाना आवश्यक है। इसके अत्यधिक दोहन से पर्यावरण को काफी नुकसान होने से इन्कार नहीं किया जा सकता है। इसका नियमानुसार उपयोग करने से स्थानीय एवं राज्य स्तर को भी आर्थिक लाभ होता है। पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रण हेतु उपाए सुझाए गए हैं। इसका क्रियान्वयन की निगरानी आपके स्तर से होनी चाहिए एवं आवश्यकता पड़ने पर इसकी सूचना जिला प्रशासन को शीघ्र देने पर व्यवस्था को नियंत्रित किया जा सकेगा। अध्यक्ष महोदय के द्वारा उपस्थित जनता को सुनवाई में शामिल होकर अपने सुझाव एवं शिकायत से अवगत कराने के लिए आभार व्यक्त किया गया तथा बताया गया कि प्राप्त सुझाव एवं प्रश्न प्रासंगिक एवं महत्वपूर्ण हैं। इनसे प्रस्तावित परियोजना को बेहतर तरीके से क्रियान्वयन करने में मदद मिलेगी। बैठक में उपस्थित जनता से प्राप्त सुझाव/शिकायत से उच्च अधिकारियों को अवगत कराया जायेगा, जिससे प्रस्तावित परियोजना विधिसम्मत तरीके से चल सके तथा ग्रामीणों को इस परियोजना का समुचित लाभ प्राप्त हो।

लोक–सुनवाई में उपस्थित अधिसंख्य जनता के द्वारा प्रस्तावित बालू घाट के खनन परियोजना का विरोध किया गया वहीं कुछ लोगों के द्वारा नियमानुसार खनन करने पर कोई आपत्ति नहीं होगी। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर उचित निर्णय लिया जा सकता है।

27-2-2024
क्षेत्रीय पदाधिकारी
बि0रा0प्र0नि0पर्षद्,
भागलपुर।

अपर समाहर्ता
जमुई।

उपस्थिति सूची

मेसर्स होटल डायमंड प्लाजा, प्रो०-श्री संजय कुमार सिंह, पिता-स्व० नागेश्वर सिंह, पता-राजगीर पेट्रोलपंप, राजगीर, नालंदा द्वारा बरनार नदी ब्लॉक-10 बालू घाट, मौजा-कागेसर, प्रखंड-खैरा, जिला-जमुई का बालू खनन परियोजना के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु दिनांक 27.02.2024 को अपराहन् 02:00 बजे लोक सुनवाई का स्थलः प्रखंड सभागार खैरा, जिला- जमुई में आयोजित लोक सुनवाई के दौरान उपस्थित व्यक्तियों की सूचीः

क्र०सं०	नाम	पता	हस्ताक्षर
1.	Ram Ashish Ram	Addn (P&R) cum ADPRO Jamui	27/2/24
2.	Shambhu Nath Jha	Regional Officer Bhagalpur Bihar State poll. Control Board	27-2-2024
3.	[illegible]	Distt Mining Officer Jamui	27/2/2024
4.	Anish Kumar	Asst. Scientific Officer BSPCB, Bhagalpur	27/02/2024
5.	Nitish Kumar	P&M Solution, Noida. Environment Consultant.	Nitish Kr
6.	BHUJBAL Kumar	Indus MINING	
7.	[illegible]	[illegible]	
8.	[illegible]	[illegible]	
9.	[illegible]	[illegible]	
10.	[illegible]	[illegible]	Rajesh

11.	जय प्रकाश सिंह	कांगेश्वर	जय प्रकाश सिंह
12.	गोपाल जी	कांगेश्वर	
13.	Nageshwar Kr.	Kageshwar	Nageshwar Kr.
14.	CK Singh	Kageshwar	CK Singh
15.	संजय सिंह	चन्देश्वर सिंह	संजय सिंह
16.	[illegible]	कांगेश्वर	[illegible]
17.	चंदन सिंह	कांगेश्वर	चंदन सिंह
18.	अखिलेश सिंह	कांगेश्वर	अखिलेश सिंह
19.	कन्हैया कुमार	कांगेश्वर	कन्हैया कुमार
20.	रणधीर सिंह	कांगेश्वर	रणधीर सिंह
21.	विनोद कुमार	कांगेश्वर	विनोद कुमार
22.	Kumar Anand singh	kage sher	Kumar Anand Singh
23.	कामेश्वर कुमार	कांगेश्वर	कामेश्वर कुमार
24.	Abhinandan Kumar	कांगेश्वर	Abhinandan Kumar
25.	PIKKU KUMAR	कांगेश्वर	PIKKU KUMAR

26.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
27.	Pinni kumar	Kageswar	Pinni
28.	[illegible]	Kageswar	[illegible]
29.	Ramakant singh	Kageswar	Ramakant singh
30.	MNTU RAM		MNTURAM
31.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
32.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
33.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
34.	[illegible]	Tihra	[illegible]
35.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
36.	Sumit Kumar	[illegible]	Sumit Kumar
37.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
38.	A. kumar	Chohardi	A. K. [illegible]
39.	Ashok kumar	kageswar	Ashok kumar
40.	[illegible]	Madhubani	[illegible]